नीट परीक्षा की तैयारियों में कोई कमी न रहे : डॉ. यादव

राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, भोपालः मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि 21 जून को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (नीट-यूजी) 2026 की तैयारियां पूरी पारदर्शिता और दक्षता के साथ समय रहते सुनिश्चित की जाएं।

उन्होंने कहा कि परीक्षा के आयोजन में किसी भी प्रकार की त्रुटि या लापरवाही की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए तथा सभी अधिकारी और कर्मचारी पूरी जिम्मेदारी के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन करें। मुख्यमंत्री ने मंगलवार को मंत्रालय में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश के विभिन्न जिलों के कलेक्टरों, पुलिस अधीक्षकों और संबंधित अधिकारियों के साथ परीक्षा तैयारियों की समीक्षा की। इस वर्ष नीट परीक्षा मध्यप्रदेश के 30 जिलों में स्थित 283 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित होगी। परीक्षा दोपहर 2 बजे से 5:15 बजे तक आयोजित की जाएगी और परीक्षार्थियों को अतिरिक्त 15 मिनट का समय भी दिया जाएगा।मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि सभी परीक्षा केंद्रों पर बायोमैट्रिक मशीनें, सीसीटीवी कैमरे और जैमर 19 जून तक स्थापित कर दिए जाएं तथा 20 जून को उनका ट्रायल रन भी पूरा कर लिया जाए। उन्होंने विशेष रूप से जबलपुर में यातायात व्यवस्था पर ध्यान देने को कहा, क्योंकि उसी दिन राष्ट्रपति का प्रस्तावित दौरा भी है। उन्होंने कहा कि किसी भी परीक्षार्थी को परीक्षा केंद्र तक पहुंचने में कठिनाई नहीं होनी चाहिए। मुख्यमंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के कार्यक्रमों को देखते हुए भी यातायात प्रबंधन को प्रभावी बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि यदि किसी परीक्षार्थी को आवागमन में समस्या आती है तो प्रशासन और पुलिस उसकी सहायता सुनिश्चित करें।

अपर मुख्य सचिव उच्च शिक्षा अनुपम राजन ने बताया कि सभी जिलों में नियंत्रण कक्ष स्थापित किए गए हैं और नोडल अधिकारियों की नियुक्ति कर दी गई है। परीक्षा केंद्रों पर द्वि-स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था रहेगी, जिसमें बाहरी सुरक्षा राज्य पुलिस और होमगार्ड तथा आंतरिक सुरक्षा एनटीए की एजेंसी द्वारा संभाली जाएगी। परीक्षार्थियों की सुविधा के लिए स्वच्छ पेयजल, प्राथमिक उपचार किट, स्वास्थ्यकर्मी, जनरेटर, स्वच्छ शौचालय तथा अभिभावकों के लिए टेंट और मोबाइल शौचालय की व्यवस्था भी की जाएगी। राज्य सरकार ने परीक्षा को शांतिपूर्ण, सुरक्षित और व्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने के लिए व्यापक तैयारियां की हैं।

अंतर्विभागीय समूह का गठन

नप्र, भोपाल : पर्यावरण सांख्यिकी की कार्य प्रणाली और अवधारणाओं के विकास तथा प्राकृतिक संसाधनों एवं पर्यावरण आर्थिक लेखों(इनवायरमेंटल इकोनॉमिक अकाउंटिंग) के डेटा के सुगम आदान-प्रदान तथा संकलन कार्य में बेहतर समन्वय के लिए राज्य शासन ने मुख्य सचिव की अध्यक्षता में अंतर्विभागीय समूह का गठन किया है।

समिति में कृषि उत्पादन आयुक्त, किसान कल्याण तथा कृषि विकास अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव वन, जल संसाधन, पर्यावरण, खनिज साधन, पशुपालन एवं डेयरी, ऊर्जा, उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण, अपर मुख्य सचिव/ प्रमुख सचिव, योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी, प्रमुख सचिव/ सचिव मछुआ कल्याण तथा मत्स्य विकास, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय भारत सरकार के प्रतिनिधि, अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं सदस्य सचिव मध्यप्रदेश जैव विविधता बोर्ड, अध्यक्ष एवं सदस्य सचिव, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सदस्य होंगे। आयुक्त, आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय, म.प्र. को सदस्य-सचिव नामित किया गया है।

त्यौहारों और राष्ट्रपति के प्रस्तावित भ्रमण के दृष्टिगत कानून-व्यवस्था की समीक्षा

राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, भोपालः पुलिस महानिदेशक कैलाश मकवाणा की अध्यक्षता में पुलिस महानिरीक्षक और पुलिस अधीक्षक की वीडियो कॉफ्रेंस आयोजित की गई।

श्री मकवाणा ने सभी जोनल पुलिस महानिरीक्षकों एवं पुलिस अधीक्षकों को निर्देशित किया कि मोहर्रम, ताजिया जुलूसों, अन्य धार्मिक आयोजनों, महामहिम राष्ट्रपति के प्रस्तावित भ्रमण तथा वीआईपी कार्यक्रमों के दौरान कानून-व्यवस्था, यातायात प्रबंधन, सुरक्षा व्यवस्था एवं साम्प्रदायिक सौहार्द बनाए रखने के लिए व्यापक सुरक्षा योजना तैयार कर उसका प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करें। श्री मकवाणा ने कहा कि आगामी त्योहारों एवं आयोजनों के दौरान परंपरागत रूप से संवेदनशील क्षेत्रों, जुलूस मार्गों, धार्मिक स्थलों पर विशेष निगरानी रखी जाए। शांति समितियों, धर्मगुरुओं एवं स्थानीय जनप्रतिनिधियों के साथ नियमित संवाद स्थापित कर सामाजिक समरसता एवं आपसी सौहार्द का वातावरण बनाए रखा जाए।

उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि सोशल मीडिया एवं अन्य डिजिटल माध्यमों पर प्रसारित होने वाली भ्रामक सूचनाओं, अफवाहों एवं आपत्तिजनक सामग्री पर सतत निगरानी रखी जाए तथा किसी भी प्रकार की भड़काऊ अथवा कानून-व्यवस्था प्रभावित करने वाली गतिविधि के विरुद्ध त्वरित वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। संवेदनशील क्षेत्रों में खुफिया तंत्र को सक्रिय रखते हुए संभावित चुनौतियों का समय रहते आकलन कर आवश्यक निवारक कदम उठाए जाएं। बैठक में महामहिम राष्ट्रपति के प्रस्तावित मध्यप्रदेश भ्रमण सहित अन्य वीआईपी एवं वीवीआईपी कार्यक्रमों की सुरक्षा व्यवस्थाओं की भी समीक्षा की गई। अधिकारियों को निर्धारित सुरक्षा प्रोटोकॉल, रूट सुरक्षा, एंटी-सबोटेज जांच, यातायात प्रबंधन, भीड़ नियंत्रण एवं समन्वित सुरक्षा व्यवस्था को सर्वोच्च प्राथमिकता देने के निर्देश दिए गए।

शराब तस्करों ने पुलिस स्क्वायड की गाड़ी को मारी टक्कर,फरार

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपालः राजधानी में शराब तस्करों के हौसले इतने बुलंद हो गए हैं कि उन्होंने पुलिस कार्रवाई को ही चुनौती दे डाली।

गोविंदपुरा थाना क्षेत्र के साकेत नगर इलाके में अवैध शराब से भरे वाहन को रोकने की कोशिश कर रही पुलिस टीम की स्क्वायड गाड़ी को तस्करों ने टक्कर मार दी और मौके से फरार हो गए।

पुलिस को सूचना मिली थी कि एक वाहन में अवैध शराब का परिवहन किया जा रहा है। सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने दोपहर करीब 1 से 3 बजे के बीच साकेत नगर क्षेत्र में घेराबंदी की। संदिग्ध वाहन को रोकने के लिए पुलिस ने अपनी गाड़ी सामने लगा दी, लेकिन वाहन चालक ने रुकने के बजाय पुलिस स्क्वायड की गाड़ी को टक्कर मार दी।

घटना के समय पुलिसकर्मी वाहन के पास मौजूद थे। राहत की बात यह रही कि इस दौरान कोई पुलिसकर्मी घायल नहीं हुआ। टक्कर मारने के बाद आरोपी वाहन चालक मौके से फरार हो गया।

घटना के बाद पुलिस ने आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं और वाहन की पहचान के प्रयास किए जा रहे हैं। पुलिस का कहना है कि जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा।

ट्विशा शर्मा मौत मामलाः पति और सास की न्यायिक हिरासत 30 जून तक बढ़ी

भोपाल। पूर्व मॉडल एवं अभिनेत्री ट्विशा शर्मा की संदिग्ध मौत के मामले में मुख्य आरोपित पति समर्थ सिंह और उनकी मां, पूर्व जिला न्यायाधीश गिरिबाला सिंह की न्यायिक हिरासत 30 जून तक बढ़ा दी गई है। मंगलवार को दोनों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी शोभना भलावे की अदालत में पेश किया गया।

सीबीआई ने अदालत को बताया कि मामले में दोबारा कराए गए पोस्टमार्टम की अंतिम फॉरेंसिक रिपोर्ट अभी प्राप्त नहीं हुई है। इसके अलावा कई महत्वपूर्ण गवाहों के बयान दर्ज होना बाकी हैं तथा सोशल मीडिया अकाउंट, चैट्स और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की तकनीकी जांच भी जारी है। जांच एजेंसी की दलीलों को स्वीकार करते हुए अदालत ने दोनों आरोपितों की न्यायिक हिरासत 30 जून तक बढ़ाने का आदेश दिया। इससे पहले 2 जून को अदालत ने दोनों को 16 जून तक न्यायिक हिरासत में भेजा था।

सुनवाई के दौरान गिरिबाला सिंह ने जेल में उपलब्ध कराए जाने वाले अखबारों को लेकर शिकायत भी दर्ज कराई। उन्होंने आरोप लगाया कि उनके प्रकरण से संबंधित खबरें अखबारों से हटाकर दी जा रही हैं। साथ ही वकीलों से मुलाकात के लिए निर्धारित 20 मिनट की समय-सीमा बढ़ाने की मांग भी अदालत के समक्ष रखी।

विवादित मकान का सौदा कर डेढ़ करोड़ की ठगी

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपालः अरेरा कॉलोनी स्थित विवादित मकान का सौदा कर डेढ़ करोड़ रुपये की धोखाधड़ी करने के आरोप में हबीबगंज थाना पुलिस ने उत्तर प्रदेश के एक दंपती के खिलाफ मामला दर्ज किया है।

आरोप है कि दंपती ने संपत्ति से जुड़े न्यायालयीन विवाद, बैंक ऋण और सुप्रीम कोर्ट द्वारा बिक्री-नीलामी पर लगाए गए स्थगन आदेश की जानकारी छिपाकर एक ठेकेदार से मकान का सौदा किया और बयाने के रूप में डेढ़ करोड़ रुपये ले लिए। जांच में सामने आया कि मकान को लेकर भाई-बहन के बीच पुराना स्वामित्व विवाद चल रहा है। संपत्ति पर लिए गए ऋण का मामला भी न्यायालय में लंबित है। खरीदार पक्ष को जब संपत्ति से जुड़े विवादों और सुप्रीम कोर्ट के स्टे की जानकारी मिली तो उसने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। इसी संपत्ति को लेकर पूर्व में आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ (ईओडब्ल्यू) में भी मामला दर्ज हो चुका है। आरोप है कि स्वामित्व विवाद के बावजूद संपत्ति को आधार बनाकर करोड़ों रुपये का बैंक ऋण लिया गया था। इस मामले में मल्लिका गर्ग, अंकुर गर्ग और एक बैंक अधिकारी के खिलाफ पहले ही कार्रवाई हो चुकी है। पुलिस बैंक लेन-देन, अनुबंध और अन्य दस्तावेजों की जांच कर रही है।

जनता के विश्वास का प्रमाण है देश के 80 प्रतिशत भू-भाग पर भाजपा-एनडीए की सरकारें : मुख्यमंत्री

राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, भोपालः मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खण्डेलवाल, पार्टी के प्रदेश प्रभारी डॉ. महेन्द्र सिंह, गुजरात के प्रदेश संगठन महामंत्री रत्नाकर एवं प्रशिक्षण महाअभियान पश्चिम मध्य क्षेत्र के क्षेत्रीय प्रभारी केसी पटेल ने मंगलवार को भाजपा प्रदेश कार्यालय में पं. उपाध्याय प्रशिक्षण महाअभियान-2026 के तहत आयोजित मंडल व जिला प्रशिक्षण वर्ग की प्रदेश स्तरीय समीक्षा बैठक को संबोधित किया।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि भाजपा प्रशिक्षित कार्यकर्ताओं के बल पर वर्ष 2028 के विधानसभा में सर्वाधिक सीटों पर विजय प्राप्त कर इतिहास रचेगी। प्रदेश संगठन ने जिस गंभीरता और प्रभावी ढंग से प्रशिक्षण वर्ग का आयोजन किया है, वह निश्चित रूप से आने वाले वर्षों में संगठन को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा। प्रशिक्षित कार्यकर्ता ही भाजपा की वास्तविक ताकत हैं। प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खण्डेलवाल ने कहा कि मध्यप्रदेश के सभी 1313 मंडलों एवं 62 जिलों में प्रशिक्षण वर्ग संपन्न होना कार्यकर्ता शक्ति का प्रतीक है। प्रशिक्षण को जीवन, व्यवहार और आचरण में उतारने से समाज को वास्तविक लाभ मिलता है। प्रदेश प्रभारी डॉ. महेन्द्र सिंह ने कहा कि प्रशिक्षण में मिली सीख का भाव आप सभी कार्यकर्ताओं के आचरण व व्यवहार में परिलक्षित होना चाहिए। कुछ लोग देश में वंदेमातरम् का गायन करने से परहेज करते हैं, लेकिन यह नया भारत है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में विश्व के कई देशों में वंदेमातरम् का गायन हो रहा है। गुजरात के प्रदेश संगठन महामंत्री रत्नाकर जी ने कहा कि पार्टी संगठन की संरचना को और मजबूती देने के लिए कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण वर्ग आयोजित करना आवश्यक होता है। प्रशिक्षण से पार्टी कार्यकर्ताओं के कार्य करने का तरीका बदलता है। पं. दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाअभियान-2026 के क्षेत्रीय प्रभारी के.सी. पटेल ने कहा कि मध्यप्रदेश का संगठन मंडल और जिला प्रशिक्षण वर्ग में पार्टी के शीर्ष नेतृत्व की अपेक्षा पर खरा उतरा है। शत-प्रतिशत मंडल प्रशिक्षण वर्ग संपन्न होना प्रदेश संगठन की बड़ी उपलब्धि है।

मोदी सरकार के सफलतम 12 वर्ष के उपलक्ष्य में विशेष जनसंपर्क अभियान

नप्र, भोपाल : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में विधायक भगवानदास सबनानी ने दक्षिण पश्चिम विधानसभा क्षेत्र में विशेष जनसंपर्क अभियान के द्वारा क्षेत्र के गणमान्य नागरिकों से उनके निवास पर भेंट कर, सरकार की उपलब्धियों पर संवाद किया।

क्षेत्र के माता शबरी मंडल के अंतर्गत आने वाले वरिष्ठ नागरिकों से मिलने विधायक उनके निवास पर गए,विशेष जनसंपर्क के दौरान सीनियर आर्किटेक्ट मनोज मिश्रा, राजपाल सिंह, रिटायर्ड जेल डीजी प्रेमलाल पांडे, राजदीप रेसीडेंसी के अध्यक्ष प्रदीप सहाय, रिटायर्ड एडिशनल एसपी के एल ठाकुर सहित अन्य वरिष्ठ नागरिकों से मिले। जनसंपर्क के दौरान विधानसभा प्रभारी राजू अनेजा मंडल अध्यक्ष हेमंत बडगैया मंडल अध्यक्ष मुकेश देहाडे महामंत्री पंकज त्रिपाठी वरिष्ठ नेता आशुतोष तिवारी मुन्ना पुरी उपस्थित रहे।

डॉ. जायसवाल ने अंतरराष्ट्रीय श्रम सम्मेलन में किया प्रतिनिधित्व

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपालः संयुक्त राष्ट्र की विशेषीकृत संस्था अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन का 114वाँ अंतरराष्ट्रीय श्रम सम्मेलन 1 से 13 जून तक स्विट्जरलैंड के जिनेवा स्थित संयुक्त राष्ट्र कार्यालय (पैलेस दे नेशंस) में आयोजित हुआ।

सम्मेलन में 187 सदस्य देशों के सरकार, नियोक्ता एवं श्रमिक प्रतिनिधियों ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई), गिग एवं प्लेटफॉर्म अर्थव्यवस्था, सामाजिक संवाद एवं त्रिपक्षीय व्यवस्था, लैंगिक समानता, सामाजिक सुरक्षा तथा भविष्य की कार्य व्यवस्था जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर गहन विचार-विमर्श किया।

भारतीय श्रमिक प्रतिनिधिमंडल की ओर से नेशनल फ्रंट ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन्स (एनएफआईटीयू) के महासचिव एवं एलएनसीटी विश्वविद्यालय, भोपाल के उपकुलसचिव डॉ. विराट जायसवाल ने भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए मानव-केंद्रित कृत्रिम बुद्धिमत्ता (ह्यूमन-सेंट्रिक एआई) की अवधारणा को प्रमुखता से रखा। इस अवसर पर केंद्रीय श्रम एवं एमएसएमई राज्य मंत्री सुश्री शोभा करंदलाजे, भारत के स्थायी प्रतिनिधि (राजदूत) अरिंदम बागची, भारतीय मजदूर संघ के अखिल भारतीय संगठन मंत्री एवं श्रमिक प्रतिनिधि बी. सुरेन्द्रन, नियोक्ता प्रतिनिधि आलोक श्रीराम, भारत सरकार के वरिष्ठ अधिकारी तथा विभिन्न देशों के श्रमिक, नियोक्ता एवं सरकारी प्रतिनिधि उपस्थित रहे।

पर्यावरण संरक्षण एवं जागरूकता पर व्याख्यान का आयोजन

नप्र, भोपाल : विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान में मप्र विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद के सहयोग से पर्यावरण संरक्षण एवं पर्यावरणीय जागरूकता पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया।

शैक्षणिक सत्र के अंतर्गत तीन विषय विशेषज्ञों के व्याख्यान आयोजित किए गए, जिनमें मुख्य वक्ता के रूप में डॉ. विजय भास्कर सेमवाल (मेनिट), डॉ. संदीप कौशिक (आईजीएनटी , मध्य प्रदेश) तथा डॉ. पूजा गुप्ता (एसजीएसआईटीएस, इंदौर) थे, विशेषज्ञों ने पर्यावरण संरक्षण, जलवायु परिवर्तन तथा सतत विकास की आवश्यकता पर विस्तृत प्रकाश डालते हुए विद्यार्थियों को जागरूक किया। कार्यक्रम में विद्यार्थियों की प्रतिभा को प्रोत्साहित करने हेतु क्विज (प्रश्नोत्तरी) एवं पोस्टर मेकिंग प्रतियोगिताओं का आयोजन भी किया गया।

विशिष्ट अतिथि के रूप में श्रीमती वंदना त्रिपाठी, रजिस्ट्रार मेजर निशान्त कुमार तथा कार्यक्रम समन्वयक प्रो. नीरज राठौर उपस्थित थे। मंच संचालन श्रीमती शोभा लेखवानी ने किया।

जाहिर सूचना

(भूखण्ड क्रं. ई-7 708 हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी शाहपुरा तहसील हुजूर जिला भोपाल)

मै अपने पक्षकार एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, ब्रांच ऑफिस एमपी नगर जोन 2 भोपाल के शाखा प्रबंधक द्वारा अधिकृत व निर्देशित करने से सर्व सावधारण को सूचित करता हूँ। की श्री जय नारायण शुक्ला आत्मज श्री चन्द्रशेषर राम शुक्ला आयु वयस्क निवासी मकान न. 101 नताशा अपार्टमेंट ई-7/24 अरेरा कॉलोनी तहसील कोलार जिला भोपाल के द्वारा श्री के शेषाद्रीनाथ आत्मज श्री ए एस के रामन एवं श्रीमती विभा अययर पत्नी श्री के शेषाद्रीनाथ के स्वमित्व व आधिपत्य का भूखण्ड क्रं ई-7 708 जो हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी शाहपुरा नगर निगम सीमाओं के अंदर वार्ड क्रमांक 52 तहसील हुजुर जिला भोपाल स्थित जिसके भूखंड का क्षेत्रफल 2711 वर्ग फीट एवं जिस की चतुर सीमाएं पूर्व में प्लाट क्रमांक 792 पश्चिम में रोड, उत्तर में प्लॉट क्रमांक 788 व दक्षिण में प्लाट क्रमांक 790 को मेरे पक्षकार के कार्यालय में क्रय करने का आवेदन प्रस्तुत किया गया है, किन्तु उपरोक्त सम्पत्ति के मूल विक्रय पत्र दिनांक 15/06/1984 ग्रन्थ क्रमांक 3906 दस्तावेज क्रमांक 1485 एवं विक्रय पत्र दिनांक 27/08/2004 ग्रन्थ क्रमांक ग्रन्थ क्रमांक 21117 दस्तावेज क्रमांक 1668 ग कही गुम हो जाने का कहा गया है जिसकी सूचना सम्बंधित पुलिस थाने में पूर्व में दी गई है। अतः उपरोक्त भूखण्ड के भूखण्ड क्रं 708 ई-7 हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी शाहपुरा भोपाल नगर निगम सीमाओं के अंदर वार्ड क्रमांक 52 तहसील हुजुर जिला भोपाल को सम्यक बंधक कर मेरे पक्षकार के द्वारा श्री जय नारायण शुक्ला आत्मज श्री चन्द्रशेखर राम शुक्ला ऋण प्रदान करने में किसी बैंक, व्यक्ति, संस्था, सोसाइटी, या कोई हित रखने वाले कोई व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो सूचना प्रकाशन के 15 दिवस में मय दस्तावेजों के मेरे कार्यालय में आपत्ति प्रस्तुत करे।

संदीप गागुंली,अधिवक्ता
गागुंली लॉ चेम्बर 86-ए, कमला नगर, कोटरा सुल्तानाबाद, भोपाल
मो. 9826089328

632

कार्यालय सम्पदा अधिकारी
म.प्र. गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मंडल, प्रक्षेत्र-2,अयोध्या नगर, भोपाल

आम सूचना

ऐशबाग हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी भोपाल में भूखण्ड/ भवन 498 मण्डल द्वारा श्री मोहम्मद अयाज खान आत्मज स्व. श्री रियाज खान एवं श्रीमती निलोफर खान पत्नी श्री मोहम्मद अयाज खान के संयुक्त नाम पर हस्तान्तरण आदेश क्र. 1012 दिनांक 31/03/2021 को हस्तान्तरित किया गया है। जिसका विक्रय विलेख दिनांक 17/11/2003 को पंजीयन कार्यालय से पंजीकृत है। आवंटी द्वारा लीज नवीनीकरण दिनांक 25/06/2021 को उप पंजीयक कार्यालय में पंजीकृत करवा ली गई है। श्री मोहम्मद अयाज खान एवं श्रीमती निलोफर खान द्वारा भवन का विक्रय विलेख दिनांक 10/08/2021 को उप पंजीयक कार्यालय से निष्पादित कराकर श्री मोहम्मद रिजवान आत्मज श्री मोहम्मद सुल्तान को विक्रय कर दिया गया है। परन्तु क्रेता/विक्रेता द्वारा मण्डल से हस्तान्तरण की कार्यवाही नही कराई गई। अब संपत्ति के क्रेता श्री मोहम्मद रिजवान द्वारा आवेदन पत्र, शपथ-पत्र (स्वयं का) एवं मण्डल प्रारूप पर आवेदन प्रस्तुत करते हुए विक्रय विलेख दिनांक 10/08/2021 के आधार पर उक्त संपति अपने नाम हस्तान्तरित करने हेतु दस्तावेज प्रस्तुत किये गये है। उनके द्वारा यह शपथ-पत्र भी प्रस्तुत किया है कि भवन के मूल आवंटी श्री मोहम्मद अयाज खान आत्मज स्व. श्री रियाज खान एवं श्रीमती निलोफर खान पत्नी श्री मोहम्मद अयाज खान एवं उनके परिवार का वर्तमान में कही पता नही चल रहा है। भविष्य में किसी भी वाद-विवाद हेतु वह स्वयं जिम्मेदार होगे। प्रस्तुत दस्तावेजो एवं विक्रय विलेख दिनांक 10/08/2021 के आधार पर उक्त संपति श्री मोहम्मद रिजवान आत्मज श्री मोहम्मद सुल्तान के नाम पर हस्तान्तरण हेतु प्रकरण इस कार्यालय में विचाराधीन है। उक्त संपति के संबंध में यदि किसी व्यक्ति/ उत्तराधिकारी/या किसी संस्था को इस संबंध में कोई आपत्ति हो तो 15 दिवस के अन्दर लिखित रूप से मय सबूत के साथ इस कार्यालय को प्रस्तुत करें, समयावधि के पश्चात् कोई भी आपत्ति स्वीकार नही की जावेगी एवं मण्डल नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु स्वतंत्र रहेगा।

सम्पदा अधिकारी
म.प्र. गृह नि. एवं अधो. वि. म. प्रक्षेत्र-2 भोपाल

631

कार्यालय सम्पदा अधिकारी
म.प्र. गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मंडल, प्रक्षेत्र-2,अयोध्या नगर, भोपाल

आम सूचना

न्यू सुभाष नगर हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी भोपाल में भूखण्ड/भवन क्रमांक एल.आई.जी.-III 368 मण्डल द्वारा श्री जे.बी. वाधवानी आत्मज श्री भागचन्द्र वाधवानी भाड़ाक्रय खरीद करार के आधार पर आवंटन आदेश क्र. 8316-21 दिनांक 13/06/1980 को आवंटित किया गया है। श्री जे.वी. वाधवानी द्वारा दिनांक 01/06/1982 को नोटराइज विक्रय अनुबंध पत्र निष्पादित कराकर श्री अंनत सिंह राठौर आत्मज श्री नाथूराम सिंह को उक्त भवन विक्रय कर दिया गया है। परन्तु क्रेता/विक्रेता द्वारा मण्डल से हस्तान्तरण की कार्यवाही नही कराई गई। श्री अंनत सिंह राठौर आत्मज श्री नाथूराम सिंह की दिनांक 12/07/2000 को मृत्यु होने के उपरांत उनकी पत्नी श्रीमती कृष्णा राठौर पत्नी स्व. श्री अंनत सिंह राठौर के द्वारा आवेदन पत्र, शपथ-पत्र (स्वयं का), परिवार के अन्य वारिसों का अनापत्ति शपथ-पत्र, परिचय पत्र, मृत्यु प्रमाण एवं मण्डल प्रारूप पर आवेदन प्रस्तुत करते हुए दिनांक 01/06/1982 को नोटराइज विक्रय अनुबंध पत्र के आधार पर उक्त संपति अपने नाम नामान्तरित करने हेतु दस्तावेज प्रस्तुत किये गये है। उनके द्वारा यह शपथ-पत्र भी प्रस्तुत किया है कि भवन के मूल आवंटी श्री जे.बी. वाधवानी आत्मज श्री भागचन्द्र वाधवानी एवं उनके परिवार का वर्तमान में कही पता नही चल रहा है। भविष्य में किसी भी वाद-विवाद हेतु वह स्वयं जिम्मेदार होगी। प्रस्तुत दस्तावेजो एवं दिनांक 01/06/1982 को नोटराइज विक्रय अनुबंध पत्र के आधार पर उक्त संपति श्री जे.बी. वाधवानी आत्मज श्री भागचन्द्र वाधवानी के नाम से श्री अंनत सिंह राठौर आत्मज श्री नाथूराम सिंह के नाम हस्तान्तरण करते हुए श्रीमती कृष्णा राठौर पत्नी स्व. श्री अंनत सिंह राठौर के नाम पर नामान्तरण का प्रकरण इस कार्यालय में विचाराधीन है। यदि किसी व्यक्ति/उत्तराधिकारी/या किसी संस्था को इस संबंध में कोई आपत्ति हो तो 15 दिवस के अन्दर लिखित रूप से सबूत के साथ इस कार्यालय को प्रस्तुत करें, समयावधि के पश्चात् कोई भी आपत्ति स्वीकार नही की जावेगी एवं मण्डल नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु स्वतंत्र रहेगा।

सम्पदा अधिकारी
म.प्र. गृह नि. एवं अधो. वि. म. प्रक्षेत्र-2 भोपाल

630

आम सूचना

(मकान/शेड कमांक-3/17. हाउसिंग बोर्ड कालोनी पंचशील नगर भोपाल (म.प्र.) के नामांतरण के संबंध में)

मैं सर्व साधारण को सूचित करती हूँ कि मैं कविता तुरूक पत्नी श्री मंगेश, निवासी शेड - 3/17. हाउसिंग बोर्ड कालोनी, पंचशील नगर भोपाल (म.प्र.)। उक्त मकान/शेड जो कि मेरे व मेरी माता श्रीमती हेमलता तुरूक के संयुक्त नाम से हाउसिंग बोर्ड भोपाल मे नामांतरण पंजीकृत है। मेरी माता श्रीमती हेमलता तुरूक का स्वर्गवास हो चुका है। उनकी मृत्यु उपरान्त मै उक्त मकान की मैं मालिक एवं एक मात्र स्वामी हूँ। उक्त मकान मैं अपने स्वयं अर्थात कविता तुरूक पत्नी श्री मंगेश के नाम पर हाउसिंग बोर्ड भोपाल मे नामंतरण करवा रही हूँ जिसमे मेरी पूर्ण सहमति है। उक्त मकान/ शेड कमांक-3/17,हाउसिंग बोर्ड कालोनी, पंचशील नगर भोपाल (म.प्र.) के संबंध में किसी भी व्यक्ति, व्यक्तियो, संस्था, सोसायटी, बैंक, हाऊसिंग फायनेंस संस्था, वित्तीय संस्थान, फर्म, शासकीय व गैर शासकीय, कार्यालयों को किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति हो या उक्त वर्णित मकान/शेड कहीं अनुबंध, विक्रय, दान, बंधक, गिरवी, बैंक ऋण, वसीयत, हिबा, हस्तांतरण इत्यादि हो तो वह इस सूचना प्रकाशन से 10 (दस) दिन की समयावधि में मेरे पते में मय दस्तावेज सहित स्वयं उपस्थित होकर या अपने अभिभाषक के माध्यम से लिखित आपत्ति प्रस्तुत करें। उक्त अवधि में आपत्ति प्रस्तुत न करने के उपरान्त मैं उपरोक्त मकान/शेड को अपने स्वंय नाम से नामांतरण करवाने के लिए स्वतंत्र रहूंगी । व ऐसी स्थिति में कोई आपत्ति/दावा मान्य नहीं होगी।

कविता तुरूक पत्नी श्री मंगेश
पता-कायस्थ लॉ चेंबर पुरानी विधान सभा के सामने भोपाल म.प्र.मो नं 8878418993

629

न्यायालय तहसीलदार नजूल वृत्त गोविन्दपुरा भोपाल

प्रकरण कमांक 0140/अ-6/26-27
भोपाल,दिनांक 16/06/2026

सार्वजनिक इश्तेहार

एतद द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक समटैराश गोंडले आत्मज स्व. प्रतापचन्द्र गोंडले निवासी म.नं. 139 हनुमान मंदिर के समीप पुराना अशोका गार्डन भोपाल द्वारा एक किता मकान क्रमांक 139 खसरा क्रमांक 838, 839, 861 से 865/1 का अंशभाग होकर कुल क्षेत्रफल 1000 वर्गफिट स्थित अशोका गार्डन भोपाल का नामांतरण किये जाने हेतु म.प्र. भू-राजस्व संहिता-1959 की धारा 109,110 के अंतर्गत आवेदन प्रस्तुत किया है। उक्त भूमि नामान्तरण के संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति हो तो वह अपनी आपत्ति स्वयं अथवा अभिभाषक के माध्यम से इस न्यायालय में उपस्थित होकर विज्ञप्ति/ इश्तेहार प्रकाशन दिनांक से 15 दिवस के अंदर प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित समयावधि के पश्चात् प्राप्त आपत्ति पर किसी प्रकार का कोई विचार नहीं किया जावेगा। उक्त उद्घोषणा पत्र मेरे द्वारा न्यायालय के पदमुद्रा एवं मेरे हस्ताक्षर से आज दिनांक 16/06/26 जारी किया गया।

तहसीलदार
न्यायालय तहसीलदार,नजूल शहर वृत्त, भोपाल (म.प्र.)

628

कार्यालय सम्पदा अधिकारी
म.प्र. गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मंडल, प्रक्षेत्र-2,अयोध्या नगर, भोपाल

आम सूचना

सतलापुर हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी मण्डीदीप जिला रायसेन में भूखण्ड/भवन क्रमांक 169 जूनि. एम.आई.जी (डुप्लेक्स) मण्डल द्वारा श्री मोतीलाल मालवीय आत्मज श्री बाबूलाल मालवीय के नाम पर भाड़ाक्रय खरीद करार के आधार पर आवंटन आदेश क्र. 10911-13 दिनांक 11/12/1991 को आवंटित किया गया है। जिसका विक्रय विलेख दिनांक 18/03/1993 को उप पंजीयक कार्यालय औबेदुल्लागंज जिला रायसेन से पंजीकृत है। श्री मोतीलाल मालवीय आत्मज श्री बाबूलाल मालवीय (प्रति/पिता जी) की दिनांक 12/10/2019 एवं श्री विनय मालवीय आत्मज श्री मोतीलाल मालवीय (पुत्र/भाई) की दिनांक 16/11/2025 को मृत्यु होने के उपरांत उनकी पत्नी/पुत्रीयों 1) श्रीमती सरला मालवीय पत्नी स्व. श्री मोतीलाल मालवीय 2) श्रीमती वर्षा मालवीय पत्नी श्री शैलेन्द्र कुमार मालवीय 3) श्रीमती उर्वी नन्दकुमार अडूरकर पत्नी श्री नंदकुमार भालचंद अडूरकर 4) सुश्री पदमिनी मालवीय पुत्री स्व. श्री मोतीलाल मालवीय 5) श्रीमती सुमन मालवीय पत्नी श्री राहुल मालवीय (पुत्रीगण स्व. श्री मोतीलाल मालवीय) के द्वारा उक्त संपति को अपने संयुक्त नाम पर नामान्तरण करने हेतु आवेदन पत्र, शपथ पत्र, परिचय पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र एवं मण्डल प्रारूप में आवेदन पत्र प्रस्तुत किए गए है। प्रस्तुत दस्तावेजो के आधार पर उक्त सम्पत्ति 1) श्रीमती सरला मालवीय पत्नी स्व. श्री मोतीलाल मालवीय 2) श्रीमती वर्षा मालवीय पत्नी श्री शैलेन्द्र कुमार मालवीय 3) श्रीमती उर्दी नन्दकुमार अडूरकर पत्नी श्री नंदकुमार भालचंद अडूरकर 4) सुश्री पदमिनी मालवीय पुत्री स्व. श्री मोतीलाल मालवीय 5) श्रीमती सुमन मालवीय पत्नी श्री राहुल मालवीय (पुत्रीगण स्व. श्री मोतीलाल मालवीय) के संयुक्त नाम से नामान्तरण हेतु प्रकरण इस कार्यालय में विचाराधीन है। यदि किसी व्यक्ति/उत्तराधिकारी/या किसी संस्था को इस संबंध में कोई आपत्ति हो ता 15 दिवस के अन्दर लिखित रूप से सबूत के साथ इस कार्यालय को प्रस्तुत करें, समयावधि के पश्चात् कोई भी आपत्ति स्वीकार नही की जावेगी एवं मण्डल नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु स्वतंत्र रहेगा।

सम्पदा अधिकारी
म.प्र. गृह नि. एवं अधो. वि. म. प्रक्षेत्र-2 भोपाल

627